कार्यालय जिला परिषद, पलामू।

E-mail-zilaparishad.palamu@gmail.com

सैरात बंदोबस्ती सूचना

प्रेस विज्ञप्ति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 1376/दिनांक 01.04.2015 के द्वारा सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है, जिसके अनुसार 100000.00 (एक लाख) रूपये से अधिक राशि के सैरात की बन्दोबस्ती जिला परिषद स्तर से की जाएगी। दिनांक 27.07.2018 को संपन्न जिला परिषद, पलामू के बोर्ड की बैठक में वर्ष 2020 के लिए पलामू जिला के सैरात अंतर्गत प्रत्येक हाट–बाजार के बंदोबस्ती हेतु डाक की न्यूनतम राशि निर्धारित की गयी है।

अतः एतद द्वारा पलामू जिला अंतर्गत निम्नांकित हाट बाजार की खुली डाक द्वारा बंदोबस्ती हेतु सर्वसाधारण से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है–

क्र0	हाट/बाजार का नाम	प्रखण्ड/अंचल क्षेत्र	वर्ष 2019 के बन्दोबस्ती की समाप्ति की तिथि	वर्ष 2020 हेतु डाक की तिथि	समय	डाक की न्यूनतम राशि	अग्रधन की राशि (10%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पाँकी हाट	पाँकी	31-12-2019	18-01-2020	11:30AM-12:00PM	307462.00	30746.00
2	तरहसी हाट	तरहसी	19-02-2020		12:00PM-12:30PM	233035.00	23304.00
3	नवडीहा हाट	नवडीहा बाजार	31-12-2019		12:30PM-1:00PM	127526.00	12753.00

उपरोक्त हाट बाजार के बंदोबस्ती हेतु खुली डाक में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक 17-01-2020 तक कॉलम संख्या–8 में निर्धारित अग्रधन राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो सचिव, जिला परिषद, पलामू के पदनाम से भुगतेय होगा कार्यालय जिला परिषद, पलामू में जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के साथ दो पासपोर्ट साईज फोटो, वैध चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण, पहचान पत्र एवं पैन कार्ड का छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा। हाट बाजार की बंदोबस्ती की अवधि एक वर्ष की होगी। सर्वोच्च डाक वक्ता को डाक समाप्ति के पश्चात् तत्काल सम्पूर्ण डाक राशि का 50% नकद राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

विस्तृत आम सूचना पलामू NIC के वेबसाइट– www.palamu.nic.in/जिला परिषद के सूचना पट्ट/अनुमण्डल कार्यालय/प्रखण्ड कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है। विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क संख्या– 7870798370 पर कार्यालय अवधि में जानकारी ली जा सकती है।

ह0/–
उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।

ज्ञापांक 21 /जि0प0, दिनांक 07-01-2020

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना को स्थानीय लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं पलामू जिला के स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में लगातार दो दिनों तक प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं पलामू के Website- www.palamu.nic.in पर upload करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।